

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

तहसील-बस्सी, जिला-चित्तौड़गढ़

ग्राम पंचायत-अमरपुरा... दिनांक-3/10/25

ग्राम सेवा शिविर 2025 अभि

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-भू.अ./2025/3

दिनांक:-3/10/2025

प्रेषित,


श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौड़गढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रतनलाल पिता/पत्नि शंकरलाल धाकड़ निवासी अमरपुरा पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम अमरपुरा में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 105,134 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम रतनलाल पिता शंकरलाल धाकड़ किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम रतनलाल पिता शंकरलाल धाकड़ का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

  
तहसीलदार (भू.अ.)  
बस्सी  
जिला-चित्तौड़गढ़(राज.)  
जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/764

दिनांक:-6/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का अमरपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री रतनलाल पिता/पत्नि शंकरलाल धाकड़ राजस्व ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का अमरपुरा की खाता संख्या 105,134 में जाति/नाम रतनलाल पिता शंकरलाल धाकड़ दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंघा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रतनलाल पिता/पत्नि शंकरलाल धाकड़ की जाति/नाम रतनलाल पिता शंकरलाल धाकड़ एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का अमरपुरा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 138

अनवान श्री रतनलाल पिता/पति श्री शंकर लाल धाकड

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री रतन लाल पिता/पति शंकर लाल निवास अमरपुरा का/की हूँ/है।

मेरे हमारे पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम अमरपुरा में खाता संख्या 105,134 किता 3 रकबा 0.93 है: भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम रनलाल पिता शंकर लाल धाकड दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में रतनलाल पिता शंकर लाल धाकड दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम रनलाल पिता शंकर लाल धाकड के बजाय रतनलाल पिता शंकर लाल धाकड दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक 3/10/2025

रतनलाल  
हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का अमरपुरा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रतनलाल पिता/पति शंकर लाल धाकड निवासी अमरपुरा के राजस्व ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का अमरपुरा की जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 105,134 में प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में रतनलाल पिता शंकरलाल धाकड दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनो जातियों एक ही श्रेणी की है/दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

पटवार मण्डल: अमरपुरा...  
तह. बस्सी, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

हस्ताक्षर भू.अ.नि.विजयपुर 03.10.25